रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2007/माघ 4, 1928
No. 25] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2007/MAGHA 4, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2007

दूरसंचार टैरिफ (चौवालीसवां संशोधन) आदेश, 2007

(2007 का संख्यांक 1)

सं. 301-34/2006-**आर्थिक.**- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (एक) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (चौवालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 कहा जाएगा।

   (2) यह आदेश फरवरी, 2007 के 15वें दिन को प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची II में, मद (14) के अधीन, उप-मद (14.क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मदें तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

242 GI/2007

अनुसूची–II

सेल्युलर मोबाइल दूसंचार सेवाएं (सीएमटीएस)

मद	टैरिफ
"(14.क) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रोमिंग:	
(14.क.i) प्रतिदेय प्रतिभूति जमा	स्थगन
(14.क.ii) प्रविष्टि शुल्क (एकबारीय प्रभार)	शून्य
(14.क.iii) क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय रोमिंग के लिए मासिक एक्सेस प्रभार	शून्य
(14.क.iv) क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय रोमिंग के समय आवक कॉल के लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभारों सहित संयुक्त प्रभार	प्रति मिनट 1.75 रु0 की सीमा
(14.क.v) क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय रोमिंग के समय जावक स्थानीय कॉल के लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभारों सहित संयुक्त प्रभार	प्रति मिनट 1.40 रु0 की सीमा
(14.क.vi) क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय रोमिंग के समय जावक लंबी दूरी (अंतर सर्कल) कॉल के लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभारों सहित संयुक्त प्रभार	प्रति मिनट 2.40 रु0 की सीमा
(14.क.vii) क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय रोमिंग के समय पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार	उपर्युक्त मद (14.क.iv,v और vi) में शामिल
(14.क.viii) क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय रोमिंग के समय अधिशुल्क	शून्य
(14.क.ix) रोमिंग के समय आवक शॉर्ट मैसेज सर्विसेज (एसएमएस)	शून्य
(14.क.x) रोमिंग के समय जावक शॉर्ट मैसेज सर्विसेज (एसएमएस)	स्थगन
(14.कख) अंतरराष्ट्रीय रोमिंग:	स्थगन
(14.कग) रोमिंग से संबंधित परंतु उपर्युक्त उप–मदों (14.क) और (14. ख) के अंतर्गत न आने वाला कोई अन्य मामला	स्थगन।"

एम. कन्नन, सलाहकार (वित्तीय)

[विज्ञापन III/IV/142/2006/असा.]

टिप्पणी 1 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 9 मार्च, 1999 की अधिसूचना सं. 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें निम्नानुसार संशोधन किया गया:—

संशोधन सं0	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301—4/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301—8/2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301—8/2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301—8/2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306—1/99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310—1(5)/ट्राई—2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301—9/2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303—4/ट्राई—2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306—2/ट्राई—2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310—1(5)/ट्राई—2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310—5(17)/2001—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301/2/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303/3/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312—7/2001—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301—6/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002

22वां	312–5/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303/8/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306–2/2003–आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303/6/2003–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301–51/2003–आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301–56/2003–आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301–4/2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301–2/2004–आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301–37/2004–आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301–31/2004–आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312–7/2003–आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310–3(1)/2003–आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301–34/2005–आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301–2/2006–आर्थिक दिनांक 21.3.2006

टिप्पणी 2 व्याख्यात्मक ज्ञापन उक्त संशोधनों के लिए उददेश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

1. राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए लागू टैरिफों का विनियमन सीलिंग टैरिफों के रूप में किया जाता है, जो दूरसंचार टैरिफ (18वां संशोधन) आदेश, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीटीओ के 18वें संशोधन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा यथासंशोधित दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीटीओ 1999 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की अनुसूची II के खण्ड 14(क) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) द्वारा नियत किए गए थे, उक्त आदेश के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा दिए गए अधिदेश में रोमिंग के लिए प्रभार के विभिन्न घटक हैं – (क) राष्ट्रीय रोमिंग के लिए मासिक किराया 100 रुपए (सीमा), (ख) रोमिंग एयरटाइम प्रभार 3.00 रुपए प्रति मिनट (सीमा) तथा (ग) एयरटाइम घटक पर 15 प्रतिशत अधिशुल्क (सीमा) और फिक्सड नेटवर्क पर समय–समय पर यथालागू पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार। अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए टैरिफ स्थगनाधीन हैं।

2. उपभोक्ताओं से प्राधिकरण को समय–समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों से यह पता चलता है कि सामान्यतः सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं में वॉइस टेलीफोनी में तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद आज भी रोमिंग सेवाओं के बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई देती है । प्राधिकरण ने यह भी पाया कि रोमिंग सेवाओं के लिए लागू टैरिफ संरचना, जो 5 वर्ष पूर्व अर्थात् वर्ष 2002 में नियत की गई थी, की पुनरीक्षा किए जाने के औचित्यपूर्ण आधार हैं। रोमिंग सेवाओं के लिए लागू टैरिफ की पुनरीक्षा किए जाने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा रोमिंग सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने संबंधी लागत अनुमान प्राप्त किए। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि पिछले 4 वर्षों के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ (i) लागत आधारित अंतर्संयोजन प्रयोक्ता

प्रभार (आईयूसी) का निर्धारण, (ii) उस परिक्षेत्र की आवधिक पुनरीक्षा करना जिसके फलस्वरूप वाहक प्रभारों में कमी आई, (iii) एक्सेस डेफिसिट प्रभारों (एडीसी) से संबंधित परिक्षेत्र में परिवर्तन, (iv) प्रचालकों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर भुगतान योग्य लागू लाइसेंस शुल्क में कमी, (v) उपभोक्ताओं की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी तथा (vi) प्रयोग किए जाने वाले मिनटों में पारिणामिक वृद्धि सम्मिलित हैं। रोमिंग सेवाओं के लिए टैरिफ में इन घटकों का प्रभाव होता है। प्राधिकरण ने रोमिंग सेवाएं प्रदान किए जाने की लागत, विद्यमान रोमिंग टैरिफ संरचना तथा सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा के स्तर का विश्लेषण करने और पणधारियों की राय पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि रोमिंग सेवाओं के लिए विद्यमान टैरिफ सीमा की पुनरीक्षा की जाए। आदेश में टैरिफ की सीमा निर्धारित करते समय प्राधिकरण ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान तथा पणधारियों के साथ बैठक के दौरान प्राप्त जानकारी पर विचार किया ।

पणधारियों की राय का सारांशः–

3. प्राधिकरण द्वारा "रोमिंग सेवाओं के लिए सीलिंग टैरिफों की पुनरीक्षा" पर जारी परामर्श पत्र (सं. 16/2006 दिनांक 24.11.2006) में पणधारियों से रोमिंग टैरिफ के विभिन्न पहलुओं पर राय तथा रोमिंग सेवा बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए सुझाव भी मांगे गए थे । परामर्श पत्र में वर्तमान में विद्यमान रोमिंग टैरिफों , मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए गए प्रभार पैटर्न की विस्तृत जांच की गई और साक्ष्य के साथ रोमिंग टैरिफ की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता को दर्शाया गया। इस प्रकार, परामर्श पत्र में रोमिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा की अपर्याप्तता तथा वर्ष 2002 में नियत टैरिफ सीमा की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता बताई गई । परामर्श पत्र में लागत आकलन की पद्धति, प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त लागत संबंधी आंकड़े और इनकी सुसंगतता, लागत अनुमान के परिणाम, रोमिंग सेवाओं के लिए लागत की गणना का सारांश दिया गया है। इन पहलुओं पर परामर्श पत्र के सुसंगत भाग इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिशिष्ट–1 में दिए गए हैं। प्राधिकरण ने यह पाया कि परामर्श प्रक्रिया के पश्चात लागत अनुमान की पद्धति में परिवर्तन किए जाने का कोई कारण नहीं है।

4. पणधारियों द्वारा 14 दिसम्बर, 2006 तक लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की जानी थीं । कुछ पणधारियों के अनुरोध पर, लिखित टिप्पणियों के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए जाने की तारीख को 28 दिसम्बर 2006 तक बढ़ा दिया गया। लिखित टिप्पणियां भारतीय सेल्युलर प्रचालन संघ (सीओएआई), भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता संघ (एयूएसपीआई), कुछ सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ता संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त हुई। टिप्पणियां प्रस्तुत करने की बढ़ाई गई तारीख अर्थात् 28.12.2006 तक पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया था। पणधारियों के साथ दिल्ली में 2.1.2007 तक ओपन हाउस चर्चाएं हुईं। प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाताओं के दो संघों, अर्थात् सीओएआई/एयूएसपीआई तथा बीएसएनएल/एमटीएनएल को 11.1.2007 को और सैल्युलर टेलीफोन प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उपभोक्ता संगठन को 12.1.2007 को चर्चा करने के लिए एक दौर आयोजित करके अवसर दिया गया। इन पणधारियों ने रोमिंग ट्रैफिक की पुनरीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। इन टिप्पणियों पर संक्षेप में नीचे चर्चा की जा रही है :–

5. प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए टैरिफ की संयुक्त सीमा विनिर्दिष्ट किए जाने के मुद्दे पर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने रोमिंग टैरिफ में स्थगन का दृष्टिकोण अपनाए जाने की वकालत की। उनके विचार में, स्थगन का सिद्धांत अतीत में बहुत ही सफल रहा है और समय के साथ–साथ भारत में मोबाइल सेवाओं के लिए समग्र टैरिफों में कमी आई है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह तर्क भी दिया कि, चूंकि पैकेज के रूप में विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, इसलिए एक अलग सेवा पर लागत आधारित रूप में प्रभार लगाया जाना उचित नहीं होगा । हालांकि कुछ सेवाएं लागत से कम कीमत पर प्रदान की जा सकती हैं जिससे विशिष्ट वर्ग के प्रयोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके और पैकेज में दी जाने वाली कुछ अन्य सेवाओं के लिए टैरिफ लागत से अधिक हो सकती है। यदि प्राधिकरण यह महसूस करता है कि सीलिंग प्रभारों को नियत किया जाना नितांत आवश्यक है, प्रचालकों ने रोमिंग सेवाओं के लिए सीलिंग प्रभारों तथा पीएसटीएन प्रभार निर्धारित किए जाने की वर्तमान प्रणाली अपनाए जाने के लिए प्राथमिकता व्यक्त की। दो मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने प्राधिकरण द्वारा 2002 में नियत रोमिंग टैरिफ में कटौती किए जाने

का पक्ष लिया। उपभोक्ता संगठनों और अन्य व्यक्तिगत उपभोक्ताओं ने इस राय का समर्थन किया कि प्राधिकरण द्वारा रोमिंग टैरिफ की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उनके अनुसार विद्यमान टैरिफ अधिक है और जीएसएम प्रचालकों ने समन्वित मूल्य निर्धारण योजना अपनाई हुई है। चूंकि रोमिंग सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को पर्याप्त नहीं पाया गया है, अतः प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

6. सभी प्रचालकों और उनके संघों ने रोमिंग टैरिफ के लिए "होम प्राइसिंग रूल" अपनाए जाने के विचार का विरोध किया। उनके अनुसार, घरेलू मूल्य निर्धारण को किसी प्रचालक द्वारा इंटर–नेटवर्क के सब्सक्राइबरों को प्रदान की गई रोमिंग सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सीवनहीन रोमिंग सेवा प्रदान करने में लागत शामिल होती है। प्रचालकों ने रोमिंग टैरिफ में स्थगन के दृष्टिकोण को अपनाए जाने के अपने पक्ष को भी दोहराया। इस पर उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों की मिश्रित प्रतिक्रिया थी। जबकि कुछ ने होम प्राइसिंग रूल का समर्थन किया, तो कुछ ने उसकी अनुशंसा नहीं की।

7. वर्तमान टैरिफ ढांचा रोमिंग एयरटाइम पर 15 प्रतिशत अधिशुल्क की अनुमति देता है । उपभोक्ताओं तथा उनके संगठनों ने रोमिंग सेवाओं के लिए किसी भी रूप में अधिशुल्क की अनुमति का कड़ा विरोध किया है । कुछ प्रचालकों तथा उनकी एसोसिएशनों ने अधिशुल्क के मुद्दे पर विनिर्दिष्ट रूप से टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि उनके अनुसार स्थगन का सिद्धांत रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ पर लागू होना चाहिए । जिन प्रचालकों ने अधिशुल्क के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वे चाहते हैं कि यह समान स्तर पर जारी रहे । एयूएसपीआई ने भी रोमिंग टैरिफ में स्थगन की अनुशंसा करते समय महसूस किया है कि राष्ट्रीय रोमिंग टैरिफ में किसी भी रूप में कोई अधिशुल्क नहीं होना चाहिए ।

8. एसएमएस के लिए प्रभार के मुद्दे पर, उपभोक्ता तथा उपभोक्ता संगठन सामान्यतया किसी अतिरिक्त एसएमएस प्रभारों के खिलाफ हैं सिवाए घरेलू नेटवर्क प्रयोग में लागू प्रभारों के । दूसरी ओर प्रचालक महसूस करते हैं कि रोमिंग के समय एसएमएस का वितरण अधिक

महंगा पड़ता है और इस प्रकार प्रयोग प्रभार घरेलू नेटवर्क में शुरू हुए एसएमएस के लिए प्रभारों की तुलना में अधिक होना चाहिए । तथापि, किसी भी प्रचालक ने घरेलू नेटवर्क के समय एसएमएस की वास्तविक लागत और रोमिंग के समय एसएमएस के वितरण के लिए शामिल अतिरिक्त लागत प्रदर्शित नहीं की है ।

9. रोमिंग टैरिफ से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुत की गई टिप्पणियों के अलावा, पणधारियों ने देश में रोमिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं । इन सुझावों में शामिल हैं – रोमिंग टैरिफ पर पारदर्शिता को बढाना, प्रचालकों के बीच रोमिंग व्यवस्था आदेश देना तथा संख्या सुवाह्यता की शुरुआत करना । तथापि, प्रचालकों का विचार है कि रोमिंग क्षेत्र सहित भारतीय दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा पर्याप्त है।

परामर्श प्रक्रिया में उठने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच:

10. आगामी खंडों में, परामर्श–पत्र में निहित विभिन्न पणधारियों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है । स्पष्टता की दृष्टि से, मोबाइल सेवा प्रदाताओं/उनके संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों को तिरछी टाइप में दिया गया है जिसके बाद उस मुद्दे पर प्राधिकरण का दृष्टिकोण दिया गया है ।

11. सर्वप्रथम, निम्न पैराओं में परामर्श पत्र में यथावर्णित उन आधारों की जांच की गई है, जिनके माध्यम से सेवा प्रदाता/सेवा प्रदाताओं की एसोसिएशन ने रोमिंग सेवाओं के लिए लागू सीमा टैरिफ में संशोधन का विरोध किया है ।

मुद्दा सं0 1: 'स्थगन के दृष्टिकोण का विस्तार रोमिंग तक भी किया जाना':

"भारतीय दूरसंचार बाजार में स्थगन का दृष्टिकोण सफल है जोकि इस तथ्य से पूर्णतः स्पष्ट है कि इसके बाद से, उपभोक्ता टैरिफों ने एक निरंतर गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है।"

इस मामले में, प्राधिकरण को स्मरण होता है कि स्थगन को टैरिफों में भारत में वॉयस टेलीफ़ोनी के लिए टैरिफों (ग्रामीण स्थायी लाइन और सेल्यूलर में रोमिंग के अलावा) के लिए केवल तभी शुरू किया गया था जब प्राधिकरण इस बात से आश्वस्त हो गया था कि दूरसंचार सेवाओं के लिए बाजार सामान्य तौर पर पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। जब बाजार की ताकतों को अपर्याप्त समझा जाता है, तो स्थगन के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को औचित्यविहीन उच्च मूल्यों का भुगतान करना पड़ता है। इस संबंध में, 'भारत में दूरसंचार विधि (दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विधिक पहलू)' शीर्षक से हाल में किए गए प्रकाशन में की गई निम्नलिखित टिप्पणियां उल्लेखनीय हैं:–

"ट्राई ने सामान्यतया टैरिफों के विनियमन से स्थगन के मामले पर निर्णय लेते समय प्रभावी प्रतिस्पर्धा के मानकों को बनाए रखा है । इस मानक का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इन सेवाओं के लिए बाजार में " गहन प्रतिस्पर्धा " का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए टैरिफों के सक्रिय विनियमन से अलग हो गया है। सामान्य नियम के रूप में, ट्राई इस बात का विनिर्धारण करते समय कि क्या टैरिफों के विनिमयन का स्थगन किया जाना चाहिए, अपने विनियामक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। परंतु प्राधिकरण का विवेकाधिकार इस मामले में न तो संपूर्ण है और न ही भर्त्सना से परे है।" पुस्तक के लेखक ने पूर्ववर्ती पैराओं में एक ऐसा अवसर उद्धृत किया है जहां दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) ने स्थगन के एक मामले से संबंधित प्राधिकरण के निर्णय का अनुमोदन नहीं किया था, जहां सेवा प्रदाता ने उनके टैरिफों को बढ़ाने के निर्णय का लाभ उठा लिया था।'

11.1 प्राधिकरण के विचार में, रोमिंग सेवा बाजार अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वह स्थगन को सुनिश्चित कर सके क्योंकि प्रतिस्पर्धा को अप्रभावी माना गया है । इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों ने दर्शाया है कि टैरिफ लगाया जाना और वह तरीका

[1] विकम राघवन, " कम्यूनिकेशंस लॉ इन इंडिया [दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विधिक पहलू], लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थस , नई दिल्ली, 2007, अध्याय 19 का पैरा एच ।

जिसके द्वारा सब्सकाइबरों पर रोमिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रभार लगाया जाता है, पारदर्शी नहीं है । इस संदर्भ में प्राधिकरण ने एक उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा उठाया गया एक बिंदु नोट किया है, जिसे नीचे दिया जा रहा है:—

"ट्राई के परामर्श पत्र में समन्वित मूल्य तंत्र बेहतर रूप में परिलक्षित होता है तथा स्पष्टतः अभिलेखित है । उद्योग ने उसे कार्टेल बनाए जाने के रूप में माना है। यह ऐसा मामला नहीं हो सकता है कि निजी क्षेत्र में प्रत्येक प्रचालक को समान टैरिफ प्रदान करना पड़े। पूर्व-भुगतान सब्सकाइबर जो मोबाइल सब्सकाइबरों के 90 प्रतिशत के निकट बैठते हैं, सेल्यूलर प्रयोक्ताओं के इस विशाल खंड के लिए किसी प्रकार का टैरिफ यौक्तीकरण/राहत प्रदान करने के लिए प्रचालकों की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है । इसके विपरीत, प्रचालकों का एक बड़ा वर्ग (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों वाले प्रचालकों को छोड़कर) एक समन्वित टैरिफ दृष्टिकोण का निरंतर पालन कर रहा है।"

11.2 मोबाइल सेवा प्रदाताओं तथा उनकी एसोसिएशनों द्वारा जो बात बार-बार की जा रही है वह सामान्यतया एक्सेस सेवाओं के लिए गिरते हुए टैरिफ से संबंधित है । प्रचालकों के इस दावे की जांच करते समय कि प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना सामान्यतया टैरिफ में गिरावट हो रही है और इसलिए सेल्यूलर रोमिंग टैरिफ को भी स्थगित कर दिया जाना चाहिए, निम्नलिखित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना उचित होगा, अर्थात्:—

(क) एक्सेस सेवा के लिए टैरिफ में गिरावट सामान्यतया देखी गई है और पूर्व में इसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकार भी किया गया है । अब तक यह बात पूरी तरह मान ली गई है कि महत्वपूर्ण नीति/विनियामक संबंधी प्रयास भारत में दूरसंचार क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि के लिए उत्तरदायी है । सब्सकाइबरों की वृद्धि को वायस टेलीफोनी में प्रयोग के मिनटों की वृद्धि के साथ मिला लिए जाने के परिणामस्वरूप सेवाओं के प्रावधान की लागत में अत्यधिक कमी आई है । इसमें उपस्कर मूल्यों में वृद्धि तथा वह तरीका भी शामिल है जिससे क्षमता का विस्तार

वर्तमान में वित्तपोषित किया जा रहा है (इस पर अधिक ब्यौरे पर इस ज्ञापन के बाद वाले भाग में चर्चा की गई है)।

(ख) निम्न तथा सीमांत प्रयोग उपभोक्ताओं पर संभवतः लक्ष्यित जीवनकाल टैरिफ योजनाओं पर अध्ययन पत्र[2] में दिए गए निष्कर्षों ने दर्शाया है कि इन योजनाओं ने बाजार में विद्यमान सामान्य योजनाओं के अधीन आरपीएम की तुलना में मोबाइल सेवा प्रदाताओं को अधिक राजस्व प्रति मिनट (आरपीएम) प्रदान किए हैं ।

(ग) हाल में मोबाइल सेवा प्रदाताओं के टैरिफ प्रदान करने वाली योजनाओं में एक मुख्य परिवर्तन माइक्रो–प्रीपेड कार्डों की शुरुआत है, जो निम्न मूल्य–वर्ग के हैं तथा जिसके लक्ष्य में प्रयोक्ताओं का निम्न एवं सीमांतक वर्ग है । बाजार में इस उत्पाद का कार्य–निष्पादन, जैसाकि मोरगन स्टेनली अनुसंधान[3] द्वारा अनुभववादी साक्ष्यों द्वारा विश्लेषित किया गया है, दर्शाता है कि इन पैकेजों के अधीन प्रति मिनट समग्र राजस्व वसूली में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा उनके विश्लेषण आगे इस तथ्य को इंगित करते हैं कि माइक्रो प्रीपेड पर ब्याज–पूर्व आय, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) मार्जिन पारंपरिक प्रीपेड पैकेज की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

11.3 अतः यह स्पष्ट है कि निचले स्तर पर सब्सक्राइबरों को लक्ष्य बनाते हुए सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रारंभ किए गए टैरिफ ने सामान्य टैरिफ प्लानों की तुलना में उच्च मार्जिन उत्पन्न किए हैं ।

11.4 एक पणधारी द्वारा यह नोट किया गया था कि दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा लगभग सभी टैरिफ क्षेत्रों में स्थगन दिए गए हैं । ऐसे खण्डों में, विशेष रूप से कतिपय मूल्यवर्धित

---

[2] *अध्ययन पत्र सं. 3/2006 दिनांक 19.12.06 विषय "नेलाइजेस ऑफ लाइफ टाइम वैलीडिटी विद टैरिफ स्कीम", भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली*

[3] *"इंडिया टेलीकम्युनिकेशंस रिंजिंग लाउडर" पर मोरगन स्टेनले एशिया/पेसेफिक दिनांक 10.01.07*

सेवाओं में जिनमें रिंग टोन, वालपेपर, खेल, कर–आधारित इंफो सेवाएं, वॉयस–आधारित इंफो सेवाएं तथा कॉलर रिंग बैक टोन शामिल हैं, टैरिफ अत्यधिक उच्च बताए गए हैं तथा ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसे टैरिफों का लागत से कोई संबंध भी है । एक निवेश अनुसंधान ग्रुप[4] द्वारा लगाए गए हाल के अनुमान के अनुसार उक्त उल्लिखित मूल्यवर्धित सेवाओं का बाजार आकलन वित्त वर्ष 2006–10 के दौरान 66 प्रतिशत सीएजीआर की दर से वर्ष 2010 में 75 बिलियन रु. तक पहुंच जाएगा । **प्राइस वाटरहाउसकूपर्स** (पीडब्ल्यूसी) के सहयोग से **सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई)** ने अप्रैल 2006 को प्रकाशित भारतीय जीएसएम सेल्यूलर उद्योग पर अपनी रिपोर्ट[5] (जिसे इसमें इसके बाद सीओएआई का बेंचमार्क अध्ययन कहा गया है) में यह माना है कि वैस (रोमिंग सेवाओं सहित) निवल सेवा राजस्व की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2002 में 6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005 में 12 प्रतिशत हो गया है ।

11.5 वस्तुतः, प्राधिकरण ने परामर्श–पत्र सं016/2006 में नोट किया है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सेवा प्रदाता कतिपय नीति/विनियामक निर्णयों से उत्पन्न होने वाले अनेक लाभों को आगे नहीं देना चाहते हैं, जोकि हाल के वर्षों में उन्हें मिल रहे हैं, जैसे वाहक प्रभारों में कमी, एडीसी परिक्षेत्र में परिवर्तन तथा लाइसेंस शुल्क में कटौती आदि।

11.6 अतः यह कहा जा सकता है कि प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, स्थगन के परिणामस्वरूप टैरिफों में कटौती गैर–तर्कसंगत है। इसके आगे, यह कि जो विश्लेषण चल रहा है वह यह निःसंदेह साबित करता है कि कई ऐसे क्षेत्र, जो स्थगनाधीन हैं, वहां टैरिफ कम नहीं है। इस तथ्य को सिटीग्रुप द्वारा दिए गए प्रतिवेदन[6] से भी समर्थन मिला है जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान मूल्यवर्धित सेवा (वीएएस) प्रभार काफी अधिक हैं। उदाहरण के तौर, पर पोलिफोनिक रिंग टोन अथवा कॉलर रिंग बैक टोन पर 10 रुपये लगते हैं। इनकी

---

[4] *इंडियन वायरलेस पर सिटीग्रुप एशिया पेसेफिक/भारतीय दूरसंचार सेवा दिनांक 8.11.2006*

[5] *सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया/प्राइस वाटरहाउसकूपर्स इंडियन जीएसएम सेल्यूलर बेंचमार्किंग स्टडीज 2005, अप्रैल, 2006 , नई दिल्ली ।*

[6] वही पृष्ठ 4

कीमतों में कमी करने से इनके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा मूल्यवर्धित सेवा का और अधिक सुलभता से व्यापन हो सकेगा। इसके विपरीत, कई निवेश अनुसंधान ग्रुपों ने यह माना है कि विनियामक/नीतिगत प्रयासों से भारत में दूरसंचार सेवाओं में टैरिफ कम करने का वातावरण बन पाया है।

मुद्दा सं0 2: 'रोमिंग क्षेत्र सम्पूर्ण मोबाइल सेवा बाजार का एक न्यून अंश है':

'कुल सब्सक्राइबर आधार की तुलना में, जो सब्सक्राइबर रोमिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं, उनकी प्रतिशतता काफी कम है। अतः रोमिंग में उपयोग की गई मिनटों का समग्र मोबाइल सेवाओं में उपयोग की गई मिनटों की तुलना में कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः रोमिंग क्षेत्र, कुल मोबाइल सेवा क्षेत्र का एक न्यून अंश है।"

11.7 प्राधिकरण ने उपर्युक्त तर्क को नोट किया है तथा उसका यह मत है कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा रोमिंग टैरिफ के स्थगन हेतु जिस आधार पर बल दिया जा रहा है वह निम्न लिखित कारणों के परिणामस्वरूप न केवल तर्कहीन अपितु अनुचित भी है:–

(क) प्राधिकरण ने यह मांग की है कि वह कुछ समय तक बाजार में हो रहे परिवर्तनों को देख कर तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात कि बाजार शक्तियों को स्वतंत्र तौर पर कार्य करने की अनुमति देने के लिए रोमिंग क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं है, वह रोमिंग टैरिफ संबंधी निर्णय पर पुनः विचार करेगा।

(ख) किसी विशेष क्षेत्र में टैरिफ विनियमन आवश्यक है या नहीं, आधार यह नहीं है ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का कि वह क्षेत्र छोटा है अथवा बड़ा, अपितु क्या वहां पर पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है या नहीं। इस मामले में प्राधिकरण द्वारा परामर्श पत्र तथा इस आदेश में अंतर्विष्ट विश्लेषण कि रोमिंग सेवा के लिए दर

प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर निर्धारित नहीं की गई है, यह स्थापित किया गया है। परामर्श पत्र[7] में से निम्नवत उद्धृत किया जाता है:—

"जबकि भारत में मोबाइल टेलीफोन सेवा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मानी गयी परन्तु ऐसा मोबाइल टेलीफोन सेवा के रोमिंग क्षेत्र में नहीं है। प्राधिकरण के पास सब्सक्राइबरों के लिए रोमिंग सेवाओं के टैरिफ से प्राधिकरण को प्राप्त साक्ष्यों से यह पता चलता है कि रोमिंग सेवा की दरों के लिए निजी जीएसएम सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वित व्यवस्था व्याप्त है। इन प्रदाताओं के यहां विभिन्न प्रकार की रोमिंग कॉलों की दरें न केवल एक समान है अपितु विभिन्न दूरी संबंधी स्लैबों की दरें भी एक समान/समरूप हैं। विगत में कई बार रोमिंग टैरिफों में एक साथ परिवर्तन प्रभावी किया गया।"

11.8 प्राधिकरण ने इस संदर्भ में एक उपभोक्ता संघ से प्राप्त लिखित निवेदनों में से एक निवेदन को नोट किया जिसमें यह कहा गया है कि 'रोमिंग के बाजार को समन्वित दरों को निर्धारित करने, प्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा, तथा सेवा प्रदाताओं की सामूहिक विफलता के कारण बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है।' इस संदर्भ में प्राधिकरण ने यह आवश्यक समझा कि दर निर्धारण पर विचार करते समय, दूरसंचार क्षेत्र में मांग की लोच के महत्व को ध्यान में रखा जाए, जैसा कि 9 सितम्बर, 1998 को फ्रेमवर्क तथा दूरसंचार मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर जारी परामर्श पत्र[8] में बताया गया है। मांग की लोच का महत्व यह है कि यह वह सीमा दर्शाती है जिस सीमा तक मूल्य में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा, जिसका मूल्य कम किया गया है, की मांग में वृद्धि तथा इसके विपर्यय होगी। मांग की लोच संबंधी प्रभाव के इस विश्लेषण में, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि लम्बी दूरी के कॉल सेगमेंट की मांग में अधिक लचीलापन है जिसका आशय यह है कि मूल्य में कमी करने से इन सेवाओं की मांग में भारी वृद्धि होगी। भारतीय

[7] "रोमिंग सेवाओं के लिए सीलिंग टैरिफों की समीक्षा" विषय पर परामर्श पत्र सं. 6/2206 दिनांक 24.11.06, ट्राई, नई दिल्ली, पैरा 3.6

[8] "दूरसंचार मूल्य निर्धारण-फ्रेमवर्क और प्रस्ताव" विषय पर परामर्श पत्र सं. 98/3 दिनांक 9.9.1998, ट्राई, नई दिल्ली, पैरा IV-1 (ख)

अर्थव्यवस्था में हो रहे सामान्य विकास की गति तथा विशेषकर दूरसंचार सेवाओं में हो रहे विकास को ध्यान में रखते हुए, कई स्टेकहोल्डरों का यह मत है कि वर्तमान में रोमिंग का जो बाजार है उसकी अपेक्षा इस बाजार की काफी अधिक क्षमता है, अतः जैसे ही मूल्यों में कमी की जाएगी रोमिंग का बाजार व्यापक हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

मुद्दा सं0 3: 'रोमिंग संबंधी व्यय का अधिक महत्व न होना":

'किसी सब्सक्राइबर द्वारा प्रचालक के चुनाव का निर्णय लेते समय रोमिंग संबंधी टैरिफ का कोई अधिक महत्व नहीं होता। एक साधारण सब्सक्राइबर के लिए रोमिंग संबंधी व्यय इतना नगण्य हो जाता है कि उसके द्वारा प्रचालक को चुनते समय रोमिंग संबंधी व्यय पर वह ध्यान ही नहीं देता। जबकि दूसरी ओर जो ग्राहक रोमिंग सुविधा का व्यापक उपयोग करते हैं वे मुख्यतः सेवा की गुणवत्ता पर अपना निर्णय लेते हैं, न कि टैरिफ पर। ऐसी परिस्थितियों में यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि केवल रोमिंग प्रभारों के लिए ही प्रतिस्पर्धा रहेगी।"

11.9 एक सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए उपरोक्त वक्तव्य से यह साबित होता है कि न तो वे बाजार में प्रतिस्पर्धा चाहते हैं और न ही वे आशा करते हैं कि विनियामक बाजार में प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा दें। इसके अलावा, यह बात कि किसी सब्सक्राइबर के लिए सेवा प्रदाता के चयन के समय रोमिंग टैरिफ अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, इस तथ्य के संबंध में प्रयोगाश्रित साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। इस बात को दोहराया जाता है कि मूल्यों के विनियमन को तब ही संगत समझा जाएगा जब बाजार की शक्तियां बाजार क्षमता संबंधी निष्पादन को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हों। उपभोक्तओं से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे ऐसी सेवा के लिए अधिक मूल्यों का भुगतान करें जो कि ऐसी सेवा को प्रदान करने संबंधी लागत से अनुचित रूप से काफी अधिक हो, वह भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोमिंग संबंधी व्यय का कोई अधिक महत्व है या नहीं। प्राधिकरण का दृष्टिकोण है कि लागत उन्मुखीकरण के आधार पर रोमिंग प्रभारों में कटौती अंतरराज्य व्यापार, वाणिज्य तथा भारत के समूचे क्षेत्र में लोगों के आवागमन को और प्रोत्साहित करेगा जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होगी।

मुद्दा सं0 4: 'रोमिंग सेवा एक मूल्यवर्धित सेवा है":

"राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा एक मूल्यवर्धित सुविधा है जोकि एक विशेष क्षेत्र (सेगमेंट) की आवश्यकता को पूरा करती है ..... और यह किसी प्रचालक द्वारा दी जाने वाली मूलभूत कनेक्टिविटी के अधिदेश के अन्तर्गत भी नहीं आती है।"

11.10 एक उद्योग एशोसिएशन द्वारा दिए गए इस मत को प्राधिकरण ने नोट किया तथा इसे रोमिंग सेवाओं के टैरिफ को विनियमित न करने के लिए एक संगत दलील नहीं माना। इस संदर्भ में, एक उपभोक्ता एशोसिएशन ने यह कहते हुए अपील की कि प्रौद्योगिकी के पदार्पण से बाजार में एक गतिशील स्थिति उत्पन्न हो गई है अर्थात् जिन उत्पादों को प्रीमियम उत्पाद कहा गया, वे कुछ ही समय में गैर–प्रीमियम उत्पाद बन गए। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि यदि रोमिंग सेवा को वहन योग्य बना दिया जाता है तो इस प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी भी उठा सकता है। परन्तु जब टैरिफ को उसकी लागत की तुलना में अधिक रखा जाता है तो सेवा का उपयोग केवल कुछ लोगों द्वारा ही उठाया जा सकता है।

मुद्दा सं0 5: 'विद्यमान रोमिंग टैरिफ सीलिंग से नीचे है":

"हॉलाकि प्राधिकरण ने प्रति मिनट 3 रुपये की सीलिंग (यथालागू पीएसटीएम प्रभार को छोड़ कर) नियत की है, प्रचालक अन्य नेटवर्क के सब्सक्राइबरों से सामान्यतः प्रति मिनट 1.99 रुपये प्रभारित कर रहे हैं तथा घरेलू नेटवर्क के बाहर उनके अपने नेटवर्क में रोमिंग के समय अपने सब्सक्राइबरों से 1 रुपये प्रति मिनट का प्रभार, जो कि अन्य नेटवर्क के सब्सक्राइबरों से लिए जा रहे प्रभार से काफी कम है, प्रभारित कर रहे हैं।"

11.11 मोबाइल प्रचालकों की उपरोक्त दलील की जांच की गई तथा यह पाया गया कि तथ्यात्मक तौर पर यह दावा करना कि ऑफ नेटवर्क रोमिंग के लिए प्रति मिनट 1.99 रुपये का रोमिंग एयर टाइम प्रभार है, गलत है। परामर्श पत्र के अध्याय तीन में रोमिंग टैरिफ की पुनरीक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत इस मुद्दे को स्पष्ट किया गया है। परामर्श पत्र की

तालिका 2 में फरवरी 2002 से रोमिंग प्रभार संबंधी प्रवृतियां तथा सब्सक्राइबरों के लिए लागू मिश्रित रोमिंग प्रभार का विश्लेषण के प्रमुख निर्णय परामर्श पत्र (पैरा 3.3) में अन्तर्विष्ट है, जिन्हें नीचे पुनःउद्धृत किया गया है:–

"फरवरी 2002 से निजी जीएसएम प्रचालकों द्वारा लगाये गए संयुक्त प्रभारों की प्रवृत्ति से स्पष्ट दिखाई देगा कि फरवरी 2005 तक दी गई सभी छूटें मुख्य रूप से प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिदेशित पीएसटीएन प्रभारों में कटौती के कारण थीं । किसी भी समय सेवा प्रदाताओं ने रोमिंग एयर टाइम पर रोमिंग एयर टाइम प्रभार या अधिशुल्क में कटौती नहीं की । वे हमेशा नियत सीलिंग पर प्रचालन करते रहे हैं । मई 2005 में रोमिंग एयर टाइम प्रभार में उनके द्वारा 1 रुपया प्रति मिनट की कमी किया जाना एकमात्र अपवाद है । लेकिन, 500 कि.मी. और इससे अधिक दूरी के लिए 3.99 रु. प्रति मिनट का संयुक्त टैरिफ लागू करके प्रचालकों ने इस छूट को भी बेअसर कर दिया है।"

इसके अलावा, प्राधिकरण ने परामर्श पत्र में अपनी चिंता व्यक्त की है कि रोमिंग सेवाएं प्रदान करने की लागत में कमी का लाभ सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है । परामर्श पत्र का संबंधित पैरा निम्नानुसार है:–

"सेवा प्रदाताओं द्वारा एडीसी भुगतान के राजस्व वितरण क्षेत्र की ओर जाने के कारण प्रचालकों द्वारा देय एक्सेस डेफिसिट प्रभार में कमी सहित रोमिंग सेवाएं प्रदान करने की लागत में कमी को पूर्ण रूप से ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया गया है । इसी प्रकार से, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.2.2006 के आईयूसी विनियम के अपने हाल के निर्धारण में कैरिज प्रभार में की गई कमी को भी लंबी दूरी की कॉल्स और रोमिंग सेवाओं के लिए लागू खुदरा टैरिफों में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है । इसके अलावा, सरकार द्वारा एनएलडीओ द्वारा देय वार्षिक लाइसेंस शुल्क में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 15 प्रतिशत से एजीआर के 6 प्रतिशत

तक की गई कमी, जो कि लागत की मुख्य ओपेक्स मदों में से एक है, प्रचालकों द्वारा ग्राहकों तक नहीं पहुंचायी गई है । वस्तुतः, कई प्रचालकों ने हाल के महीनों में रोमिंग सेवाओं के लिए लागू टैरिफों में वृद्धि की है जिससे लगता है कि रोमिंग सेवा बाजार पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है।"

11.12 मोबाइल प्रचालकों द्वारा स्वयं के नेटवर्क में रोमिंग पर लागू 1 रु. प्रति मिनट के निम्न प्रभार का तर्क निम्न कारणों से स्वीकार्य नहीं है, अर्थात्:–

(क) पहला, इन 'निम्न प्रभारों' का लाभ लेने के लिए लागू मासिक किराया बाजार में उपलब्ध अत्यधिक प्रचलित टैरिफ प्लानों के लिए लागू मासिक किरायों से बहुत अधिक है ।

(ख) दूसरा, सब्सकाइबर के पास रोमिंग के दौरान दूसरे सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं रह पाती क्योंकि जो सब्सकाइबर रोमिंग के दौरान अन्य नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उच्च रोमिंग प्रभार देना पड़ता है ।

(ग) वर्तमान में, स्वयं के नेटवर्क पर निम्न रोमिंग प्रभार की सुविधा देने वाले मोबाइल सेवा प्रदाताओं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ने ऐसे टैरिफ प्लान केवल पोस्ट–पेड सब्सकाइबरों तक सीमित रखे हैं और यह सुविधा प्री–पेड सब्सकाइबरों को नहीं दी है जो कि कुल मोबाइल सब्सकाइबर बेस का बहुत बड़ा भाग हैं ।

मुद्दा सं0 6.'रोमिंग टैरिफों को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए':

'रोमिंग टैरिफों को केवल अलग करके देखना और वहीं दूसरी ओर कम लागत टैरिफों पर प्रदान की जा रही अधिकांश सेवाओं तथा प्रचालकों की दीर्घावधि अर्थक्षमता को महत्व न देना प्राधिकरण के लिए ठीक नहीं होगा।'

'यह आवश्यक नहीं है कि किसी पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तिगत सेवा के लिए प्रभार मूल्य आधारित ही हों । जहां कुछ विशिष्ट वर्ग के प्रयोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ सेवाएं लागत से कम मूल्य पर प्रदान की जा सकती हैं, वहीं पैकेज के अंतर्गत कुछ अन्य सेवाओं के लिए टैरिफ लागत से अधिक मूल्य पर हो सकता है।'

11.13 इस तर्क कि लागत से कम मूल्य पर आधारित टैरिफों पर उपलब्ध करायी जा रही अधिकांश सेवाओं, जो लागत और क्षेत्र की वित्तीय अर्थक्षमता आदि से नीचे है, पर ध्यान न देकर रोमिंग टैरिफों को प्राधिकरण द्वारा पृथक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, की प्राधिकरण द्वारा जांच की गई है और निम्न कारणों से मोबाइल सेवा प्रदाताओं का यह तर्क स्वीकार्य नहीं पाया गया है, अर्थात् : –

(i) न तो सेवा प्रदाताओं और न ही सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने प्राधिकरण को यह दिखाया है कि कैसे उनके द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाएं उनके लागत मूल्य से कम मूल्य पर हैं और रोमिंग जैसी सेवाओं, जो कि लागत मूल्य से कम मूल्य पर प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रतिपूर्ति करती हैं, से कितना राजस्व प्राप्त होता है ।

(ii) प्राप्त साक्ष्य दिखाते हैं कि सामान्य रूप से दूरसंचार सेक्टर और विशेष रूप से मोबाइल टेलिफोनी में सेवाएं प्रदान करने की लागत में पिछले कुछ समय से कमी आ रही है। मॉर्गन स्टेनले रिसर्च, एशिया पेसिफिक की दिनांक 10.1.2007 की रिपोर्ट में इस बात की साक्ष्य सहित व्याख्या की गई है, जिसे नीचे दिया गया है:–

"भारतीय प्रचालकों को पिछले पांच वर्षों, जब उन्होंने अपने नेटवर्क बनाने शुरू किए, से कई लाभ प्राप्त हुए हैं ।

(क) कैपेक्स मूल्यों में गिरावट आई है क्योंकि पिछले पांचे वर्षों में विश्व भर के उपकरण विकेताओं ने मूल्य कम किए हैं ।

(ख) भारत को यह और लाभ मिला कि उसे केवल सस्ती 2जी अवसंरचना की आवश्यकता थी, जबकि शेष विश्व 3जी की ओर बढ़ रहा है ।

(ग) भारतीय सरकार ने एक निश्चित सब्सकाइबर बेस पार करने पर प्रचालकों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम दिया है जिससे अभिवर्धित कैपेक्स में और कमी आई है। सरकार द्वारा जितना अधिक स्पैक्ट्रम दिया जाएगा, प्रति एर्लांग कैपेक्स उतना ही कम होगा।

(घ) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और हैंडसेटों पर लगने वाले सीमा शुल्कों में नियमित कटौती किए जाने से नेटवर्क स्थापित करने की लागत घट गई है तथा सेवाओं की वहनीयता बढ़ गई है ।

(ङ) 2जी जीएसएम उपस्करों के लिए दूरसंचार उपस्करों में कमी हुई है, विशेष रूप से एडैप्टि मल्टी रेट सिस्टमों जैसी श्रेष्ठ प्रौद्योगिकीय सर्फेसिंग में, तथा संभवतः भारत विश्व का सबसे बड़ा 2जी जीएसएम उपभोक्ता बन जाएगा ।

(च) प्रचालकों के नीचे नेटवर्कों की साझेदारी उनके कैपेक्स प्रति सब्सकाइबर आधार को वर्धित रूप से कम करती है।[9]

11.14 उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ऐसे अनेक कारक हैं जो सामान्य तौर पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने की लागतों को नीचे लाने के लिए उत्तरदायी हैं । जीवनकाल वैधता के साथ जुड़ी टैरिफ स्कीमों पर अध्ययन पत्र[10] में प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि सेवा प्रदाता इस तथ्य के बावजूद उचित औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू) प्राप्त कर रहे हैं कि यह स्कीम निम्न प्रयोग एवं सीमांतक उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिक तौर पर लक्ष्यित की गई थी । इस स्कीम ने स्थानीय कॉलों के लिए 2 रु. प्रति मिनट तथा घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के लिए 3 रु. प्रति मिनट के टैरिफ स्तर रखे हैं, जो अन्य योजनाओं के अंतर्गत बाजार में विद्यमान कॉल प्रभारों से कहीं अधिक हैं । इसके अलावा, अध्ययन ने दर्शाया

[9] वही, पृष्ठ 21–22
[10] वही

है कि जीवनकाल टैरिफ स्कीमों के लिए राजस्व प्रति मिनट (आरएमपी) 0.80 रु. है, जो कुल मिलाकर पूर्ण सचल सेवा के लिए 0.70 रु. की आरपीएम की तुलना में अधिक है । यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की टैरिफ स्कीम, जोकि निम्न आय प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से प्रारंभ की गई थी, ने भी प्रचालकों को वर्धित रूप से उच्च लाभ प्रदान किया है ।

11.15 अतः सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू की गई जीवनकाल वैधता तथा माइक्रो प्रीपेड कार्ड जैसी स्कीमें, जोकि निम्न तथा सीमांतक सब्सक्राइबरों के लिए लक्ष्यित की गई हैं, सेवा प्रदाताओं द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इन स्कीमों को अकेला छोड़ देती हैं।

मुद्दा सं0 7. 'भारतीय दूरसंचार क्षेत्र पिछड़ रहा है':

"कतिपय वित्तीय मानदण्डों पर भारतीय दूरसंचार क्षेत्र अन्य उभरते दूरसंचार बाजारों की तुलना में पिछड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में आने वाले वर्षों में भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है।"

11.16 इस दृष्टिकोण के समर्थन में सीओएआई ने प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए अपने लिखित निवेदन में प्रतिमिनट राजस्व (आरपीएम), एआरपीयू, ईबीआईटीडीए मार्जिन, निवेशित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) कैपेक्स और प्रचालकों के नकदी प्रवाह आदि जैसे कतिपय मानदण्डों को किसी समयावधि और कतिपय देशों के बीच तुलना के लिए लिया है। इस संबंध में उद्योग एसोसिएशनों के तर्क की जांच साक्ष्यों के आधार पर की गई और प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि रोमिंग के लिए टैरिफ सीलिंग में संशोधन से सेल्युलर उद्योग में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस विषय पर प्राधिकरण की इस राय का आधार नीचे दिया जा रहा है:–

(क) पिछले वर्ष कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं जिन्हें सेल्युलर उद्योग एसोसिएशनों ने अपने विश्लेषण में शामिल नहीं किया है । वस्तुतः कई निवेश अनुसंधान फर्मों की यह राय थी कि भारतीय वायरलेस क्षेत्र क्षेत्रीय और वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश

का क्षेत्र है । इसकी व्याख्या निम्नलिखित पैराग्राफों में वास्तविक संदर्भों के साथ की जा रही है।

(ख) भारत में आरपीएम के मुद्दे पर उद्योग एसोसिएशन ने प्राधिकरण को घटते काल प्रभारों के साक्ष्य के रूप में अपने लिखित निवेदन के भाग के रूप में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। जैसाकि पहले बताया जा चुका है कि प्राधिकरण का इस तथ्य से असहमत नहीं है कि बीते समय में दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ में कमी आई है, तथापि इस वैचारिक मुद्दे को सीओएआई द्वारा की गई अल्पकालिक तुलना के रूप में स्पष्ट करना आवश्यक है । प्राधिकरण को किए गए निवेदन में प्रयुक्त आरपीएम आंकड़ों में प्रयोग के कुल मिनटों अर्थात जावक और आवक को हिसाब में लिया गया है जिसमें, विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां कॉल करने वाले द्वारा भुगतान किए जाने (सीपीपी) की पद्धति है, कॉल प्रभार प्रदर्शित नहीं किया जाता ।

(ग) जून 2003 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान सब्सकाइबरों की संख्या में वृद्धि और प्रति सब्सकाइबर उपयोग किए गए मिनटों में बढ़ोतरी के फलस्वरूप टैरिफ की दरों में कमी (आरपीएम) से होने वाली हानि की तुलना में अधिक लाभ की बात को मेक्योरी रिसर्च इक्विटी की रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है:–

"भारत का प्रति मिनट औसत राजस्व विश्व में सबसे कम लगभग 2 सेन्ट प्रति मिनट है परंतु यह भारतीय प्रचालकों के लिए नुकसान का विषय बिल्कुल नहीं है । औसत प्रयोग प्रति माह 400 मिनट से अधिक पहुंच चुका है जिससे ऑपरेटरों को टैरिफ में हुए नुकसान की तुलना में अधिक लाभ मिला है । फलस्वरूप, एआरपीयू में कमी हितकर रही है।"[11]

(घ) सीओएआई/पीडब्ल्यूसी की बेंचमार्किंग स्टडी की रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया है कि नेट सेवा राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए मार्जिन में वृद्धि हुई जो

[11] मेक्यूरी रिसर्च इक्विटीज, रिपोर्ट ऑन इंडिया टेलकॉम दिनांक 27.11.2006, पृष्ठ 13

वर्ष 2000 में 15 थी तथा 2005 में 44 हो गई।[12] मेरिल लिंच, सितम्बर, 2006 की रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि वायरलेस क्षेत्र में पूरे देश के लिए औसत ईबीआईटीडीए मार्जिन में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2001 में 26.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006 की दूसरी तिमाही में 36.2 प्रतिशत हो गई । इसके अतिरिक्त इसी रिपोर्ट में कई देशों के ईबीआईटीडीए मार्जिनों की तुलना से यह पता चलता है कि भारतीय वायरलेस क्षेत्र में मार्जिन हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेन्टीना, कोलंबिया, फिनलैंड, इजरायल, जापान, कोरिया, नीदरलैंड, पेरू, यूके और यूएस जैसे देशों में उपलब्ध मार्जिन से अधिक थी।[13]

(ङ) इस बात के साक्ष्य उपलब्ध है कि ईबीआईटीडीए मार्जिनों में वृद्धि सतत् रूप से बनी रहेगी । अर्नस्ट एण्ड यंग की रिपोर्ट ने भारतीय दूरसंचार के अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष दिया गया है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि एआरपीयू में गिरावट और अधिग्रहण और प्रतिधारण की लागत में वृद्धि के बावजूद ईबीआईटीडीए मार्जिनों में कोई गिरावट आएगी । चूंकि केवल मात्रा ही ईबीआईटीडीए की सततता सुनिश्चित करेगी।[14]

(च) मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मॉर्गन स्टेनले[15] की रिपोर्ट में यह अनुमान दिया गया है कि दो प्रमुख मोबाइल ऑपरेटरों के ईबीआईटीडीए में वर्ष दर वर्ष आधार पर 71 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की वृद्धि होगी और उनका सकल लाभ 88 प्रतिशत और 154 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) बढ़ने की प्रत्याशा है । इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईबीआईटीडीए के ऐसे अनुमान उच्चतर नेट एड्स और उच्चतर एआरपीयू से होंगे । अतः उनकी यह राय है कि भारतीय वायरलेस क्षेत्र क्षेत्रीय और वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश है। प्रसंगवश, उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार यह उल्लेख किया जा सकता है कि दो प्रमुख निजी प्रचालकों के लिए परिकलित पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी) कमशः 10.7 प्रतिशत और 12.

---

[12] इबिड पृष्ठ 27
[13] मेरिल लिंच, ग्लोबल वायरलेस मेट्रिक्स, 2 क्यू 06, दिनांक 19 सितम्बर, 2006 पृष्ठ 69
[14] अर्नस्ट एण्ड यंग, फ्राम एमर्जिंग टू सर्जिंग, इंडिया टेलिकॉम, 2010, दिसंबर, 2006, पृष्ठ 25
[15] वही पृष्ठ 1

14 प्रतिशत है। प्राधिकरण द्वारा रोमिंग टैरिफ के नियतन के लिए लागत की गणना हेतु की गई इस एक्सरसाइज में डब्ल्यूएसीसी 14 प्रतिशत लिया गया है।

(छ) वायरलेस क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार के लिए निवेशित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) की गणना मॉर्गन स्टेनले रिसर्च द्वारा 10.1.07 की अपने रिपोर्ट में किया गया है जो प्रति सब्सकाइबर अभिवर्द्धित कैपेक्स के विभिन्न स्तरों पर वर्द्धित उपभोक्ता के लिए है जो कि आरओसीई के विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति है । यह सीमा वर्द्धित कैपेक्स के अनुसार 28 प्रतिशत से 31 प्रतिशत है जो किसी भी दृष्टि से निम्न लाभ नहीं है।[16]

(ज) भावी विस्तार के लिए कैपेक्स की आवश्यकता के मुद्दे के बारे में यह सत्य है कि इस क्षेत्र में वृद्धि के साथ–साथ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होगी , परंतु वर्धित कैपेक्स निम्नतर ही रहेगी । यह भी सत्य है कि कैपेक्स फैलाव के मॉडल में इस दृष्टि से भारी परिवर्तन आए हैं कि सेवा प्रदाता अब उसे प्रबंधित क्षमता और प्रबंधित सेवा मॉडल पर आउट सोर्स कर रहे हैं । इस प्रकार के मॉडल के अंतर्गत विक्रेता आरंभ में प्रचालकों को तब तक कैपेक्स पर ऋण उपलब्ध कराते हैं जब तक उपभोक्ता नेटवर्क में शामिल नहीं हो जाता । इस प्रकार प्रचालकों के लिए कैपेक्स आवश्यकता में काफी कमी आई है ।

(झ) उभरते बाजारों से इन मानदंडों की तुलना करने में कई जटिलताएं सामने आई जिसके कारण समुचित निष्कर्ष नहीं निकल पाया । देशों के बीच क्रयशक्ति/आय के स्तर अर्थव्यवस्था के विकास के चरण, अर्थव्यवस्था की संरचना, जनांकीकीय और व्यावसायिक पैटर्न, मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर, वैधानिक/विनियामक ढांचा, बैंकिंग प्रणाली और प्रथाएं, बैंकिंग प्रणाली की मौद्रिक/ऋण नीति, लेखांकन पद्धति और लागत निर्धारक मानक तथा अन्य सामाजिक – सांस्कृतिक घटक की दृष्टि से बहुत अंतर व्याप्त है । इन सभी घटकों का उद्योग एसोसिएशन द्वारा तुलना के लिए चुने गए मानदंडों पर प्रभाव पड़ता है ।

(ञ) ऊपर चर्चा कि गए इन सभी साक्ष्यों पर ध्यान देने के पश्चात प्राधिकरण की यह राय है कि ईओएआई का विश्लेषण कुल मिलाकर स्वसेवा चयनात्मक हस्तक्षेप है, जो कि

[16] वही, एक्जिबिट 21, पीपी 21

समीक्षाधीन विषय अर्थात् रोमिंग टैरिफ के संशोधन में उलझन पैदा करने के लिए किया गया है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने स्वयं अपने लिखित निवेदन में यह स्वीकार किया है कि, **"रोमिंग राजस्व किसी प्रचालक के कुल राजस्व का एक बहुत ही छोटा भाग होता है।"** अतः स्पष्ट रूप से यह कहने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि प्राधिकरण द्वारा अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा के आधार पर रोमिंग सेवाओं के लिए लागू विद्यमान टैरिफ सीलिंग की पुनरीक्षा से मोबाइल प्रचालकों के लाभ और क्षेत्र की अर्थक्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।

संशोधनों के उद्देश्य और कारण

उपयुक्त पैराओं के अलावा, संशोधन के उद्देश्यों और कारणों को नीचे दिया गया है:

I रोमिंग के विभिन्न घटकों के लिए टैरिफ सीलिंगः–

लागत और राजस्व आंकड़ों के विभिन्न घटकों, पणधारियों से लिखित में प्राप्त और चर्चाओं के दौरान प्राप्त राय, घरेलू नेटवर्क में उद्भूत होने वाली कॉलों के लिए विद्यमान टैरिफ और अन्य संगत घटकों के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न घटकों के लिए सीलिंग टैरिफ पुनःनियत करने का निर्णय लिया है । सब्सकाइबरों के लिए पारदर्शिता में वृद्धि करने और उपर्युक्त चर्चा किए गए विस्तृत कारणों से, प्राधिकरण ने मासिक एक्सेस प्रभार और कॉल प्रभारों को पृथक–पृथक नियत किए जाने की बजाय सीलिंग के रूप से संयुक्त रोमिंग प्रभार नियत करने का निर्णय लिया है । विद्यमान टैरिफ आदेश प्रचालक को रोमिंग एयरटाइम प्रभार के अलावा पीएसटीएन प्रभार लेने की अनुमति देता है । प्राधिकरण यह महसूस करता है कि यदि पीएसटीएन घटक सहित कॉल प्रभार की सीमा नियत की जाती है तो यह सब्सक्राइबरों के लिए अधिक पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक होगा। इसलिए, इस टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए कॉल प्रभार में सभी प्रभार सम्मिलित हैं और इसमें उद्भव, वहन, समाप्ति, एडीसी अधिशेष या विभिन्न प्रकार के कॉल्स के लिए इस आदेश में विनिर्दिष्ट कॉल प्रभार की सीमा के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार

लगाए जाने की अनुमति नहीं है । रोमिंग टैरिफ के प्रमुख घटकों की चर्चा संक्षेप में नीचे की जा रही है।

प्रतिभूति जमा और एकमुश्त प्रवेश शुल्क

30 जनवरी, 2002 के टीटीओ के 18वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित टीटीओ, 1999 की अनुसूची II के खण्ड 14 (क) में प्रतिभूति जमा और प्रवेश शुल्क के रूप में शून्य प्रभार के संबंध में स्थगन विनिर्दिष्ट किया है । इस टैरिफ आदेश में इन घटकों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

II रोमिंग टैरिफ संरचना में निहित सिद्धांत

इस आदेश में रोमिंग टैरिफ अधिदेशित करने के लिए संरचना विकसित करने में टैरिफ संरचना का लागत अभिमुखीकरण, प्रचालकों के लिए पारदर्शिता, सरलता और लोचनीयता निहित सिद्धांत रहे हैं । रोमिंग टैरिफ को सीलिंग के रूप में बनाए रखकर लोचनीयता रखी जाती है । अतः सेवा प्रदाताओं को यह छूट दी गई है कि वे दूरी के विभिन्न स्लैबों के लिए भिन्न–भिन्न दरें प्रदान करें और अपने नेटवर्क तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में निर्धारित सीलिंग के भीतर रोमिंग के लिए विभेदात्मक दरें रखें । इस आदेश में, प्राधिकरण ने दो भागों में प्रभार लगाए जाने अर्थात रोमिंग सुविधा के लिए मासिक नियत प्रभार और एयरटाइम प्रभार, जो उपयोग की मात्रा पर आधारित है पर ध्यान नहीं दिया गया है तथा इसमें स्थान पर उपयोग आधारित संयुक्त रोमिंग टैरिफ को अपनाया है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:–

(क) रोमिंग सेवाओं के कारण होने वाली लागत में सभी प्रकार की वृद्धि जिसमें पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) शामिल है

(ख) रोमिंग सेवाओं के कारण होने वाली लागत में सभी प्रकार की वृद्धि जिसमें प्रचालन व्यय (ओपेक्स) शामिल है

(ग) लागू अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (अर्थात उद्भव, वहन और समाप्ति) तथा एक्सेस डेफिसिट प्रभार।

III दो भागों वाला प्रभार परिक्षेत्र नहीं

उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता और न्यायसंगतता के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 24.11.2006 के अपने परामर्श पत्र सं. 16/2006 के दौरान संयुक्त रोमिंग टैरिफ संरचना का प्रस्ताव किया था ।

11.17 लागत, ट्रैफिक पैटर्न और मोबाइल प्रचालकों से रोमिंग सुविधा लेने वाले सब्सकाइबरों की संख्या, जिनके आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे तथा जिन पर विश्लेषण के लिए विचार किया गया, से संबंधित आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि लागत संबंधी अनुमान वास्तविक थे और वे केवल तभी संसाधनों के किए गए उपयोग को प्रतिबिंबित करते थे जब रोमिंग टैरिफ को संयुक्त रूप से निर्धारित किया गया है । इस संदर्भ में इस पहलू पर परामर्श पत्र में प्राधिकरण द्वारा दी गई विस्तृत व्याख्या को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त रहेगाः–

"प्रयोग के इन–रोमिंग मिनटों के असमान वितरण और विभिन्न प्रचालकों से रोमिंग सुविधा लेने वाले सब्सकाइबर बेस के कारण वर्तमान संदर्भ में मासिक किराया और रोमिंग कॉल प्रभारों का अलग–अलग अनुमान लगाया जाना वास्तविक प्रतीत नहीं होता । उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि किसी विशेष सेवा क्षेत्र में किसी प्रचालक के नेटवर्क के भीतर इन–रोमिंग करने वालों की कुल संख्या उसी प्रचालक के सेवा क्षेत्र में मासिक किराए का भुगतान करके रोमिंग सुविधा लेने वाले सब्सकाइबरों की संख्या से कई गुना अधिक हो सकती है । यदि मासिक किराया रोमिंग सुविधा वाले सब्सकाइबरों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित किया जाना है तो इसकी लागत को ऐसे रोमिंग सब्सक्रिप्शन पर गैर–आनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाएगा जिससे किराए की राशि काफी अधिक हो जाएगी । ऐसी स्थिति न्यायसंगत नहीं होगी और यह अनुचित होगा क्योंकि यह रोमिंग का

उपयोग न करने वाले तथा बार–बार रोमिंग का उपयोग करने वाले सब्सक्राइबरों के बीच अंतर नहीं करता है । वस्तुतः दो भागों में लागत निर्धारण, जिसमें से एक मासिक किराए के माध्यम से कैपेक्स की वसूली पूरा करता है और दूसरा, उपयोग प्रभार के द्वारा ओपेक्स रिकवरी को पूरा करता है, के कारण इसमें वर्णित विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। इसके विपरीत, लागत अनुमान में वृद्धि, जिसमें प्रचालकों के कैपेक्स और ओपेक्स दोनों को साथ में लिया गया है, से लागत के युक्तिसंगत सीमा प्रदान करने वाले परिणाम सामने आए । इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक लाइसेंसी के लिए कैपेक्स और ओपेक्स की वसूली को जोड़ा गया और प्रति मिनट रोमिंग कॉल में होने वाली बढ़ोत्तरी निकाली गई।"

11.18 एक संयुक्त रोमिंग टैरिफ संरचना का यह अर्थ नहीं है कि रोमिंग सुविधा के एक्सेस से जुड़ी पूंजीगत लागत को छोड़ दिया गया है या हिसाब में नहीं लिया गया है । इसके विपरीत प्राधिकरण ने अपने परामर्श पत्र (पैरा 5.5) में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि "पूंजीगत व्यय घटक को भी रोमिंग से जुड़े अभिवर्धित लागत अनुमान में शामिल किया गया है और इस प्रकार लागत की किसी श्रेणी को छोड़ा नहीं गया है"। रोमिंग के लिए मिश्रित टैरिफ का अर्थ यह है कि उपयोग अर्थात इनकमिंग कॉल, स्थानीय आउट गोइंग कॉल और इंटरसर्कल आउटगोइंग कॉल के लिए रोमिंग के दौरान प्रति मिनट आधार पर पृथक–पृथक रोमिंग टैरिफ होगा जिसके लिए उपभोक्ता द्वारा किराया या अन्यथा के रूप में कोई नियत मासिक प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा । इस बात पर बल दिया गया है कि रोमिंग सुविधा की पहुंच से जुड़ी हुई लागत रोमिंग सेवा के प्रावधान से उत्पन्न अभिवर्धित व्यय का भाग है । इसके अलावा इसमें रोमिंग करने वाले सब्सक्राइबरों से कोई अतिरिक्त पीएसटीएन प्रभार (जिसे प्राधिकरण ने बाद में आईयूसी प्रभारों के रूप में स्पष्ट किया है) प्रभारित किए जाने की अनुमति नहीं होती क्योंकि वे संयुक्त रोमिंग टैरिफ का भाग है (इस पर बाद में और चर्चा की जाएगी) ।

11.19 मोबाइल सेवा प्रदातओं और उनके एसोसिएशनों के साथ परामर्शी प्रकिया के दौरान प्राधिकरण द्वारा आयोजित चर्चाओं में उनके द्वारा यह बताया गया कि रोमिंग सुविधा प्रदान

करने के लिए प्रति सब्सकाइबर आधार पर सिग्नलिंग प्रभार पर व्यय होता है जो आवर्ती किस्म का है और इसलिए दो आंशिक परिक्षेत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ किराया भी सम्मिलित है, रोमिंग टैरिफ संरचना में जारी रहने चाहिए । प्राधिकरण ने मोबाइल सेवा प्रदाताओं में से एक मोबाइल सेवा प्रदाता के इस तर्क को निम्नलिखित कारणों से अयुक्तियुक्त पाया:–

(क) उद्योग स्रोतों के साथ चर्चा से यह बात सामने आई कि लगभग सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की अपनी सिग्नलिंग प्रणाली है और वे ऐसी सुविधा के लिए आगे अपने उपाश्रय प्रचालक पर निर्भर नहीं हैं और इस प्रकार उसके लिए प्रति सब्सकाइबर आधार पर मासिक भुगतान लगभग समाप्त ही हो गया है ।

(ख) यह आम जानकारी है कि मोबाइल सेवा प्रदाता, जो रोमिंग सहित लंबी दूरी के कॉल के लिए या तो क्षमता को लीज पर ले या दे रहा है या अपनी क्षमता स्थापित कर रहा है, उसे दूसरे प्रचालक को देय सिग्नलिंग प्रभार पर पृथक व्यय करने की जरूरत नहीं होगी जैसाकि कई वर्ष पहले था । प्राधिकरण द्वारा 0.65 रु. प्रति मिनट की दर से निर्धारित वहन प्रभार को रोमिंग सेवाओं के प्रावधान से उत्पन्न वर्धित लागत निकालने के लिए जोड़े जाने की पूरी अनुमति दी गई है ।

(ग) किसी भी दशा में, यहां तक कि यह मानते हुए भी कि एक या दो सेवा प्रदाता सिग्नलिंग प्रभारों के कारण व्यय कर रहे हैं, उनके द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों (वित्तीय वर्ष 2003–04 से संबंधित) में सूचित किए गए व्यय की पूरी राशि को बिना किसी कटौती के रोमिंग सेवाओं के प्रावधान पर होने वाले लागत अनुमान को निकालने के प्रयोजन से शामिल किया गया ।

(घ) सेवा प्रदाताओं के संघों ने, जो 11.1.07 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण से मिले, अंततः यह माना कि लागत अनुमान या प्राधिकरण द्वारा निकाले गए लागत अनुमानों के आधार, जिसे परामर्श पत्र में दर्शाया गया है, सही है। उनका विवाद इस आधार पर था कि मोबाइल टैरिफों में स्थगन से सामान्यतः निम्न टैरिफ वातावरण उत्पन्न हुआ और प्राधिकरण को चाहिए कि वह पृथक